रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 600] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 7, 1971/अग्रहायण 16, 1893

No. 600] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 7, 1971/AGRAHAYANA 16, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 7th December 1971

S.O. 5368.—Whereas, for the development of the export trade of India certain proposals for subjecting frozen lobster tails to quality control and inspection prior to export were published, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, at pages 1685 to 1688 of the Gazette of India—Part II, Section 3, Sub-section (ii), Extraordinary, dated the 21st October, 1970, under the notification of the Government of India in the Ministry of Foreign Trade No. S.O. 3486, dated the 21st October, 1970.

And whereas objections and suggestions were invited till the 19th November, 1970, from all persons likely to be affected thereby;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 21st October, 1970;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government after consulting the Export Inspection Council, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby—

(1) notifies that frozen lobster tails shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) specifies the type of inspection in accordance with the Export of Frozen Lobster Tails (Inspection) Rules, 1971, as the type of inspection which shall be applied to such frozen lobster tails prior to export;

(3) recognises the specifications as set out in the Annexure to this notification, as the standard specifications for frozen lobster tails, and

prohibits the export, in the course of international trade, of such frozen lobster tails, unless the same are accompanied by a certificate issued by any of the Export Inspection Agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that the said commodity conforms to the standard specifications as recognised under sub-paragraph (3) and are export-worthy.

2. Nothing in this notification shall apply to export by sea, land or air of frozen lobster tails as samples to the prospective buyers, provided that each such sample does not weigh more than two kilograms.

3. *Definition.*—In this notification, "Frozen Lobster Tails" means the tails obtained from (i) *Panulirus* sp., (ii) *Thunnus* sp., (iii) *Peurulus* sp., and prepared by quick freezing.

4. This notification shall come into force on the 28th December, 1971.

ANNEXURE

Specifications for Frozen Lobster Tails

General	Scientific name	Trade name	Type (Depending upon the colour of the meat)	Size grade		Bacteriological standard	Packing and storage
				I.Q.F. packing (based on weight in grams per piece)	Block packing (Nos. per 450) grams		
Frozen lobster tails shall be prepared by quick freezing the tails obtained from fresh lobsters. The processing shall be carried out in a premises maintained in hygienic manner. The material on thawing shall be clean having an attractive characteristic appearance and shall in every way be in a sound, in tact, undamaged condition and free from defects. The meat shall have the characteristic colour and odour of that of freshly caught lobsters and shall not have any discolouration or off odour. The material shall be free from eggs, sand, dirt and any other extraneous matter.	1. *Panulirus sp.*	Rock lobster tails	(1) Snow-white to white (2) Light pink to pink	909/UP 794/908 680/793 567/679 455/566 341/454 284/340 227/283 171/226 114/170 57/113 29/56	Not applicable	(i) Total bacterial count, per gram, Maximum 5,00,000 (ii) E.Coli, per gram, Maximum 20 (iii) Salmonella and other pathogenic bacteria.	Lobster tails shall be wrapped individually in moisture proof film or arranged in blocks before freezing. The frozen products shall be packed in seaworthy corrugaetd card boardboxes.
	2. *Thunnus sp.*	Sand lobster tails (Slippers)	(1) Snow white to white (2) Off white to light brown	171/UP 114/170 57/113 29/56	Not applicable	Do.	The frozen material shall be stored in a room maintained at or below—18° C temperature.
	3. *Peurulus sp.*	Deep sea lobster tails	(1) Snow white to white (2) Light pink to pink	171/UP 114/170 57/113 29/56 15/28	U/4 4/8 9/15 16/20 21/25 26/30	Do.	

[No. 60(46)/EIEP/68]

विदेश व्यापार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1971

का० आ० 5368.—यतः भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए झिंगा मछली के प्रशीतित पृष्ठभाग को निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन करने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 21 अक्टूबर, 1970 भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में पृष्ठ 1689 से 1692 पर भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3486 तारीख 21 अक्टूबर, 1970 के अन्तर्गत प्रकाशित किए गए थे;

और यतः ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनका उनसे प्रभावित होना संभाव्य था 19 नवम्बर, 1970 तक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 21 अक्टूबर, 1970 को उपलब्ध करा दिया गया था;

और यतः उक्त प्रस्तावों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है;

अतः, अब, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, निर्यात निरीक्षण परिषद् से सलाह करने के पश्चात अपनी यह राय होने के कारण कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा—

(1) यह अधिसूचित करती है कि झिंगा मछली के प्रशीतित पृष्ठभाग निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगे;

(2) यह विनिर्दिष्ट करती है कि झिंगा मछली के प्रशीतित पृष्ठभाग का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1971 के अनुसार जिस प्रकार का निरीक्षण किया जाएगा उसी प्रकार का निरीक्षण निर्यात से पूर्व झिंगा मछली के ऐसे प्रशीतित पृष्ठभाग को लागू किया जाएगा;

(3) इस अधिसूचना के उपाबन्ध में उपवर्णित विनिर्देशों को झिंगा मछली के प्रशीतित पृष्ठभाग के लिए मानक विनिर्देश के रूप में मान्यता देती है;

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान झिंगा मछली के प्रशीतित पृष्ठभाग के निर्यात का तब तक प्रतिषेध करती है जब तक उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से किसी के द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र न हो कि उक्त वस्तुएं उपर्युक्त (3) के अधीन मान्य मानक विनिर्देशों के अनुरूप हैं और निर्यात के योग्य हैं।

2. इस अधिसूचना की कोई भी बात झिंगा मछली के प्रशीतित पृष्ठभाग को नमूने के रूप में, समुद्र, स्थल या वायु द्वारा, भावी क्रेताओं को निर्यात करने के संबंध में लागू नहीं होगी, परन्तु यह तब जब कि प्रत्येक ऐसे नमूने का वजन दो किलोग्राम से अधिक न हो।

3. **परिभाषा.**—इस अधिसूचना में "झिंगा मछली के प्रशीतित पृष्ठभाग" से (i) **पानुलिसर विशेष** (ii) **थुनुस विशेष** (iii) **पेउअस्तल विशेष** से अभिप्राप्त और शीघ्र प्रशीतन द्वारा तैयार किया गया पृष्ठभाग अभिप्रेत है ।

4. यह अधिसूचना 28 दिसम्बर, 1971 को प्रवृत्त होगी ।

उप

झिंगा मछली के प्रशीतित

साधारण	वैज्ञानिक नाम	व्यापारिक नाम	प्रकार (मांस के रंग पर निर्भर)
झिंगा मछली का प्रशीतित पृष्ठभाग, ताजी झिंगा मछली से अभिप्राप्त पृष्ठभाग को शीघ्र प्रशीतित करके तैयार किया जाएगा। यह प्रक्रिया स्वास्थ्य रीति से बनाए रखे गए परिसर में की जाएगी।	1 पानुलिरस विशेष	रॉक झिंगा मछली का पृष्ठभाग	(1) हिम श्वेत से लेकर श्वेत तक (2) हल्के गुलाबी से लेकर गुलाबी तक
हिमद्रवण करने पर उपलब्ध सामग्री साफ होगी और उसका अपना विशिष्ट रूप आकर्षक होगा और वह सब प्रकार से स्वास्थ्य कर, ठीक-ठीक अच्छी दशा में और दोष-मुक्त होगी।	2 यूनुस विशेष	सैन्ड झिंगा मछली का पृष्ठभाग (स्लिपर्स)	(1) हिम श्वेत से लेकर श्वेत तक (2) विवर्ण श्वेत से लेकर हल्का भूरा तक
मांस अपने विशिष्ट रंग का और ताजी पकड़ी गई झिंगा मछली की गंध का होगा और उसमें कोई विवर्णता या दुर्गन्ध नहीं होगी। यह सामग्री अंडों, बालू, गन्दगी और किसी अन्य बाह्य पदार्थ से मुक्त होगी।	3 पैक्लस विशेष	गहन सागरीय झिंगा मछली का पृष्ठभाग	(1) हिम श्वेत से लेकर श्वेत तक (2) हल्के गुलाबी से लेकर गुलाबी तक

बन्ध

पृष्ठभाग, के लिए विनिर्देश

श्रेणी आकार	जीवाणु मानक	पैकिंग और चिह्नांकन

आई० क्यू० एफ० ब्लाक पैकिंग
पैकिंग (लि (संख्या प्रति 450
टुकड़ा ग्राम में ग्राम।)
वजन पर आधारित)

909 ऊपर	लागू नहीं होता	(1) कुल जीवाणु गणना प्रतिग्राम अधिकतम—5,00,000	प्रशीतन के पूर्व झिंगा मछली के पृष्ठभाग नमी सह फिल्म में अलग-अलग लपेटे जाएंगे या खंडों में तरतीब से रखे जाएंगे। प्रशीतित उत्पाद कारण। योग्य गल्ले के नाली दार बक्सों में पैक किया जाएगा।
794 908			
680 793		(2) इ० कोलि० प्रतिग्राम अधिकतम-20	
567 679			
455 566		(3) सालमोनेल्ला और अन्य रोगजनक जीवाणु शून्य	
341 454			
284 340			
227 283			
171 226			
114 170			
57 113			
29 56			
171 ऊपर	लागू नहीं होता	यथोक्त—	प्रशीतित सामग्री को ऐसे कमरे
114 170		(1) कुल जीवाणु गणना प्रति ग्राम अधिकतम 5,000,000	में रखा जाएगा जिसका ताप-क्रम 18 डिग्री सैंटीग्रेड या उससे कम पर रखा जाता हो।
57 113			
29 56			
171 ऊपर	यू० 14	(2) इ० कोलि० प्रतिग्राम अधिकतम—20	
114 170	4 8		
57 113	9 15	(3) सालमोनेला और अन्य रोगजनक जीवाणु-शून्य	
29 56	15 20		
15 28	26 30	रोगजनक जीवाणु-शून्य	

[सं० 60 (46)/ई० आई० ई० पी०-68]

S.O. 5369.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Export of Frozen Lobster Tails (Inspection) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the 28th December, 1971.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires—

(i) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(ii) "Agency" means the Export Inspection Agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(iii) "Frozen Lobster Tails" means the tails obtained from (a) Panulirus sp., (b) Thunnus sp., (c) Peurulus sp., and prepared by quick freezing.

3. **Basis of Inspection.**—Inspection of frozen lobster fails intended for export shall be carried out with a view to seeing that the frozen lobster fails conform to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act.

4. **Procedure of Inspection.**—(1) An exporter intending to export frozen lobster tails shall submit an application to the nearest office of the Agency, giving particulars of the consignment intended to be exported, to enable it to examine such consignment or cause the same to be examined to see whether the same conforms to the specifications referred to in rule 3.

(2) Every application under sub-rule (1) shall be made not less than seven days before the anticipated time of despatch of the consignment from the exporter's premises.

(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2) the Agency shall inspect of the consignment and satisfy itself that the consignment complies with the with the requirements of the recognised specifications. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

(4) If, on such inspection of the consignment, the Agency is satisfied that the same conforms to the recognised specifications and has been packed and marked according to these rules, it shall issue a certificate declaring the consignment as export-worthy.

5. **Packing and marking for export.**—(1) The frozen lobster tails shall be packed either according to the specifications recognised under section 6 of the Act or in a manner as agreed to between the exporter and the foreign buyer as mentioned in the contract.

(2) Each package and each master carton containing such package(s) shall be marked, either in full or in codes, with indelible ink with the following partiuclars:

(a) Name and grade of the material;
(b) Shipping marks;
(c) Lot number/batch of production;
(d) Net weight of contents; and
(e) Date of packing

6. **Place of Inspection.**—(1) Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the exporter's premises, which shall be well lighted and maintained in sanitary and hygienic conditions. Necessary facilities for inspection, thawing, weighing and packing shall be provided at the premises by the exporter.

(2) In addition to the inspection at the premises mentioned in sub-rule (1), the Agency may exercise such supervision of the inspected consignment at any place of storage or transit prior to its shipment as it may consider necessary for satisfying the purposes of these rules.

7. **Inspection fees.**—A fee at the rate of ten paise per kilogram of the material, subject to a minimum of thirty rupees per consignment shall be paid to the Agency as inspection fee under these rules.

8. **Appeal.**—(1) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (4) of rule 4, may, within ten days of receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts, consisting of not less than three persons as may be appointed for the purpose by the Central Government.

2. The quorum for the panel shall be three.

(3) The decision of the said panel on such appeal shall be final.

[No. 60(46)/EIEP/68.]

B. D. KUMAR, Jt. Secy.

का० आ० 5369.— निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम, एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**— (1) इन नियमों का नाम झिंगा मछली के प्रशीतित पृष्ठभाग का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1971 होगा।

(2) ये 28 दिसम्बर 1971 को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**—इन नियमों में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(i) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है।

(ii) "अभिकरण" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरण अभिप्रेत है।

(iii) "झिंगा मछली के प्रशीतित पृष्ठभाग" (क) **पानुलिरस विशेष**, (ख) **थुलुस विशेष**, (ग) **पऊरूलस विशेष** से अभिप्राप्त और शीघ्र प्रशीतित द्वारा तैयार किया गया पृष्ठभाग अभिप्रेत है।

3. **निरीक्षण का आधार** : निर्यात के लिये आशयित झिंगा मछली के प्रशीतित पृष्ठभाग का निरीक्षण यह देखने के अभिप्राय से किया जायेगा कि झिंगा मछली के प्रशीतित पृष्ठभाग अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है।

4. **निरीक्षण की प्रक्रिया** : (1) झिंगा मछली के प्रशीतित पृष्ठभाग के निर्यात का आशय रखने वाला निर्यातकर्ता आशयित परेषण की विशिष्टियों को देते हुए एक आवेदन अभिकरण के निकटतम कार्यालय को भेजेगा ताकि वह यह देखने के लिए की परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों के अनुरूप है या नहीं ऐसे परेषण की परीक्षा कर सके या करा सके।

(2) उपनियम (1) के अधीन हर आवेदन, निर्यातकर्ता के परिसर से परेषण की पूर्वानुमानित तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व किया जायेगा।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर अभिकरण परेषण का निरीक्षण करेगा और अपना यह समाधान करेगा कि परेषण मान्य विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है। ऐसे निरीक्षण को कार्यान्वित करने में अभिकरण को समर्थ बनाने के लिए निर्यातकर्ता सभी आवश्यक सुविधाएं देगा।

(4) यदि परेषण के ऐसे निरीक्षण पर, अभिकरण का समाधान हो जाए की वह मान्य विनिर्देशों के अनुरूप है और इन नियमों के अनुसार पैक चिह्नित कर दिया गया है तो वह एक प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसमें वह परेषण को निर्यात योग्य घोषित करेगा।

5. **निर्यात के लिए पैक करना और चिह्नित करना** : (1) मछली के प्रशीतित पृष्ठभाग अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्य निर्देशों के अनुसार या संविदा में यथावर्णित, निर्यातकर्ता और विदेशी क्रेता के बीच सहमत रीती से झिंगा पैक किए जाएंगे।

(2) प्रत्येक पैकिज और प्रत्येक मास्टर कार्टन, जिसमें ऐसे पैकिज हो, या तो पूर्ण रूपेण या कोड़ा में, निम्नलिखित विशिष्टियां देते हुए अमिट स्याही से चिन्हित किया जायेगा :—

(क) सामग्री का नाम और श्रेणी ;

(ख) पोतलदाम चिन्ह ;

(ग) लाट संख्या / उत्पादन बैच ;

(घ) अंतर्वस्तुओं का शुद्ध भार ; और

(ङ) पैकिंग की तारीख ।

6. **निरीक्षण का स्थान** : (1) इन नियमों के प्रयोजनार्थ निरीक्षण निर्यातकर्त्ता के परिसर में किया जायेगा जिसमें अच्छा प्रकाश होगा और जिसे स्वच्छ और स्वास्थ्यकर दशा में बनाए रखा जाएगा । परिसर में निरीक्षण, हिमप्रवण, तौल और पैकिंग की आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था निर्यातकर्त्ता द्वारा की जाएगी ।

(2) उपनियम (1) में वर्णित परिसर में निरीक्षण के अतिरिक्त अभिकरण ऐसे निरीक्षण परेषण का उसके पोतलदान से पूर्व भंडार में या अभिवहन के किसी भी स्थान पर ऐसा पर्यवेक्षण कर सकेगा जैसा वह इन नियमों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे ।

7. **निरीक्षण फीस** : सामग्री के प्रति किलोग्राम दस पैसे की दर से निर्यात निरीक्षण फीस, प्रति परेषण तीस रुपये न्यूनतम के अध्यधीन रहते हुए, अभिकरण को निरीक्षण फीस के रूप में इन नियमों के अधीन संदत्त की जाएगी ।

8. **अपील** : (1) नियम 4 के उपनियम (4) के अधीन प्रमाण पत्र जारी करने से इन्कार कर दिए जाने से व्यथित कोई भी निर्यातकर्त्ता, तीन से अन्युन विशेषज्ञों के एक पैनल को जो इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जायें ऐसे इंकार की संसूचना की प्राप्ति के दस दिन के भीतर, अपील कर सकेगा ।

(2) पेनल की गण पूर्ति तीन होगी ।

(3) ऐसी अपील पर उक्त पैनल का विनिश्चय अंतिम होगा ।

[सं० 60(46)/ई० आई० ई० पी०/68.]

बी० डी० कुमार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971

रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 601] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 7, 1971/अग्रहायण 16, 1893

No. 601] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 7, 1971/AGRAHAYNA 16, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

AUDYOGIK VIKAS MANTRALAYA

ORDER

New Delhi, the 7th December 1971

S.O. 5370/18A/IDRA/71.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notified order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 4460/18A/IDRA/67, dated the 14th December, 1967, namely:—

In paragraph 2 of the said Order for item 3 relating to Shri R. P. Sinha the following item shall be substituted, namely:—

"3. Shri Nawal Kishore Narayan Singh, Cane Commissioner to the Government of Bihar, Patna.".

[No. F.9(2)Lic.Pol./67.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.